

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1983/माघ 13, 1904
No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1983/MAGHA 13, 1904

**इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके**

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation**

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1983

का० आ० 79 (अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के अंतर्गत धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन दी हुई भारत सरकार पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या 12016/8/82 प्रा० दिनांक 15-2-1982 द्वारा का० प्रा० सं० 77(अ) की संलग्न प्रमुखी में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II—खंड 3—उपखंड (ii) दिनांक 15-2-82 में पृष्ठ संख्या 127 से 129 पर प्रकाशित गांव कालाघोड़ा तालुका जरण, जिना रायगढ़, महाराष्ट्र राज्य के लिये।

1279 GI/82

(1)

पठे			के स्थान पर		
सर्वेक्षण	नंबर	क्षेत्र	सर्वेक्षण	नंबर	क्षेत्र
	हे	आर से		हे	आर से
39	5 बी/2	0—03.5	39	5 सी	0—03.5

[सं० O-12016/8/82-प्रौड]

पी० पी० खन्ना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st February, 1983

S.O. 79(E). In the schedule appended to the notification of Govt. of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum)'s No. 12016/8/82-prod, dated 15-2-82 issued under section 2(1) of the Petroleum and Minerals Pipelines (ARUL) Act, 1962 (50 of 1962) published under S.O. No. 77(E) dated 15-2-82 at pages 129 to 130 of the Gazette of India, Extraordinary Part II—Section 3—Sub Section (ii) for village Kaladhonda, Taluka Uran, District Raigad, Maharashtra State.

Read			For		
S. No.	H. No.	Area	S. No.	H. No.	Area
		H A C			H A C
39	5B/2	0—03.5	39	5C	0—03.5

[No. O-12016/8/82—Prod.]

P.P. KHANNA, Jt. Secy.